

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम :-  
बासनेर कला जलाशय ।
2. लोक प्रयोजन :-व्यापक लोक हित मे लाभकारी है ।
3. स्थल :- मौजा बासनेर कला एवं बासनेर खुर्द कि भूमि का स्थल चयण जल संसाधन राजस्व, वन, फलोधान , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण , विधुत विभाग द्वारा सयुक्त रूप अर्जित भूमि का चयन किया गया ।
4. परियोजना का क्षेत्र :- बासनेर कला एवं बासनेर खुर्द
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया :-
  1. योजना के निर्माण पश्चात 240 हे. क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी
  2. राष्ट्रीय खखान उत्पादन मे 1200 टन की वृद्धी होगी ।
  3. आस पास के कुओ का जल स्तर बडेगा भूमि जल स्तर मे वृद्धी होगी ।
  4. मवेशीयो को पीने के लिये पानी रहेगा ।
  5. योजना के निर्माण अवधि के दौरान 73500 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा ।  
परियोजना निर्माण के पश्चात भी स्थानीय कृषि मजदूरों को कृषि मे सतत रोजगार उपलब्ध रहेगा ।जिससे मजदूरों के पलायन की स्थिति समाप्त हो जावेगी ।
  6. जलाशय निर्माण से जल स्तर समस्या से निम्न ग्राम लाभान्वीत होंगे :-  
विजयग्राम, झल्लार, तामसार, जिरनाढाना, बासनेर खुर्द, बालनेर
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :-
  1. परियोजना - बासनेर कला जलाशय एवं लघु सिंचाई योजना होकर स्थानिय (नाले पर) ग्राम बासनेर खुर्द शिवाने के पास प्रस्तावित है ।
  2. योजना के निर्माण पश्चात ग्राम बासनेर कला एवं बासनेर खुर्द के 240 हेक्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ।
  3. प्रशासनिक स्वीकृती योजना की लागत 809.98 लाख है ।
  4. योजना मे लगभग 9.50 मछली का उत्पादन होगा ।
  5. योजना कार्यपालनयंत्री जल संसाधन संभाग क. 2 बैतूल के अधिन है योजना पर नियंत्रण कार्यपालनयंत्री जल संसाधन संभाग क. 2 बैतूल का रहेगा ।

7. परियोजना निर्माण के चरण :-

योजना के निर्माण की निविदा स्वीकृत होकर एंजेंसी निर्धारण का कार्य हो गया है जिसे प्रथम चरण एक वर्ष में पूर्ण करना है।

8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :-

भू अर्जन फाईल बासनेर कला - जलाशय मौजा बासनेर कला प.ह.न. 25 में सलग्न है।

9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :-

मौजा बासनेर कला

निजी भूमि 28.852 हे.

शासकिय भूमि 2.784 हे.

10. भूमि का मूल्य :-

जिला बैतूल कलेक्टर के गाईड लाईन वर्ष 2017/18 के अनुसार है।

11. प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार) :-

निरंक

12. परिसमपत्तियां-

लोक सम्पत्ति- भूमि... निरंक... भवन.....निरंक.....अन्य :-

1. लोक सम्पत्ति 2.784 हे.

निजी सम्पत्ति- भूमि ...28.852 हे.....भवन.....निरंक.....अन्य

आम वृक्ष कुआ नलकुप (सूची सलग्न अनुसार)

13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :-

बासनेर कला से प्रभावित भूमि के अर्जन में कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

ग्राम वार्ड

परिवारों की संख्या

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जन जाति

अन्य योग

निरंक

जिनके मकान अर्जित हुए -

ग्राम वार्ड

परिवारों की संख्या

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जन जाति 2अ. न्य योग

निरंक

14. सामाजिक समाघात :-

(क) समाघातों का विवरण:- प्रारूप च ग्राम सभा के संकल्प सर्व सहमति से पारित।

(ख) समाघातों की संकेतक सूची :- क्रमांक 15 में अंकित है।





15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क.) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

निष्कर्ष :-

- 1 प्रभावित भूमि के अर्जन से प्रयोजन पूरा होता है।
- 2 प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- 3 प्रभावित भूमि के अर्जन से परिसम्पत्तियां प्रभावित हो रही हैं। उस का विधि अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- 4 आवश्यकता अनुसार भूमि का हि अर्जन किया जा रहा है।
- 5 इस परियोजना के लिये शासकिय सभी माप दण्डों के अनुसार यदि भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किये गये हैं।
- 6 जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

1. सामाजिक समाघात समिति के हस्ताक्षर

नाम	पद	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैंसदेही	 हस्ताक्षर Dalal अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही जि. बंताब
सदस्य	उप वन मंडला अधिकारी भैंसदेही	 उपवनमंडलाधिकारी भैंसदेही (सा.)
सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग भैंसदेही	 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग भैंसदेही (बिदल)
सदस्य	डॉ. आकोशराव लिखितकर बासनेर कला	 डॉ. आकोशराव लिखितकर